

# FORM No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत \_\_\_\_\_ मुकाम \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ बनाम \_\_\_\_\_

किस्म मुकदमा \_\_\_\_\_ नं. \_\_\_\_\_ सन् \_\_\_\_\_

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
7/2/24	<p>परवारी पण्डे दुकराई प्रस्तुत कीलेखनी रिपोर्ट मय 1/14 के प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार श्राध दुकराई के चरागाह श्वसरा नं. 323 हेक्टर पर कीलेखनी के पक्का निरीक्षण कर श्राध पर कीलेखनी के पक्का हुका है प्रकरण के फलगत शु. राक्षस कीलेखनी की धारा 91 के तहत फर्द रजिस्टर कर कीलेखनी को जारी है। पतावली के दिनांक 23/2/24 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">सहायक बंग बना-चित्तौड़पुर (बाब.)</p>	
23/2/24	<p>पतावली पेश हुई। पतावली के कीलेखनी द्वारा नोटिस के संबंध में जवाब पेश किया कि केरे द्वारा कीलेखनी प्रती के रदन के आवारण मकान बना रखा है जिस पर विद्युत कनेक्शन की किया हुआ है। उक्त आवारण के मन्वे समझ से पारना निवार कर रहे है। निवारण का अधिकार लउ मौखिक अधिकार है कला: श्राध पंचायत दुकराई कीलेखनी को श्राध दुकराई की कावली बुकि के नियमावली निवार है 221 जारी कर तथा रजिस्ट्रार पंचायती श्राध</p>	<p>गाल खेदी कोरि</p>

540  
100

15

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>
-----------------------	--

नम्बर  
अहकाम  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

कायम के नियम 110 के तहत आदिवासी  
को बेपरवाह कर की राशि कायम रखी है  
ज्यादातर को अवगत कराव जाय परन्तु  
कुछ राशि को इर, शिवदा के पत्र जारी करे  
पत्रावली कराने सुकाल 10/02/2018 को  
दस्तावेज जम्बल 20 कर है।

*(Signature)*  
तहसीलदार बंगू  
(तहसीलदार) बंगू

द्वारा साहब.  
नियमन हे कि निम्नलिखित या  
गया हे इसलिये उनके खिलाफ